[निजी प्रसार के लिए]

अंक ४२ नई दिल्ली, अगस्त २०१३

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'बाल न्याय कानून में कुछ कमियां हैं – और संशोधन आवश्यक है'

श्रीमती सुमन नालवा

वर्ष १९९६ में दिल्ली एंव अंडामान व निकोबार से एक मात्र महिला डी.ए.एन. आई.पी.एस. अधिकारी श्रीमती सुमन नालवा, वर्तमान समय में एडिशनल डी.सी.पी. स्पेशल युनिट बच्चे एंव महिलाएं, दिल्ली से पुलिस बल में महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों एंव आम महिलाओं एंव बच्चों से सम्बन्धित मुद्दों में पुलिस की वांक्षित भुमिका के बारे में उनके विचारों एंव सुझावों को जानने के लिए किये गए साक्षात्कार को आपके ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए यहां प्रस्तूत किया जा रहा

क्या आपके विचार में नये कानूनों के अनुसार काम करने से महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराधों में कमी आएगी। बच्चों के साथ यौन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस के क्या दायित्व हैं/होने चाहिए?

अभी जो नये कानून आये हैं जैसे कि अपाराधिक न्याय प्रणाली संशोधन अधिनियम (*Criminal Law Act 2012*) हो या यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा का कानून (*POCSOA*) हो, उनसे पुलिस को अपराधियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने में काफ़ी सहायता और मज़बूती मिली है। जैसे कि 'स्टॉकिंग' को अब अपराध मान लिया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता (*IPC*) के अंतर्गत कई उपधाराएं जोड़ी गई हैं, इसी प्रकार बच्चों से सम्बन्धित यौन अपराधों को करने की 'कोशिश' को भी अपराध माना गया है। इससे विभिन्न प्रकार के अपराधियों को पकड़ने में सहायता मिलेगी।

अगर आप अपराधों की रोकथाम की बात करते हैं तो इसके लिए *POCSOA* की धारा १६ में कहा गया है कि अपराध की सूचना देने वाले पर कोई कार्यवाही नहीं होगी अगर सूचना गलत भी पाई गई और वह नेकनीयती से दी गई हो। लेकिन, रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता। स्कूल में, कॉलेजों में, संस्थानों में और समुदायों में इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर लोगों को यौन प्रताड़ना का डर हो तो आवश्यक है कि वे बगैर डरे हम तक सूचना पहुंचाएं। मैंने कई अभिभावकों से भी बात की है जिससे यह मालूम होता है कि कई बार बच्चे अपने साथ हुई किसी घटना को बताना चाहते हैं लेकिन, माता–पिता यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। जबकि, आज आवश्यकता है बच्चों को यौन शोषण के खतरे के बारे में बताने की। मैंने इस बारे में कई मनोवैज्ञानिकों से भी बात की है और उनके अनुसार ३ साल के बच्चे को भी अच्छे और गंदे स्पर्श में अंतर समझाया जा सकता है।

स्पेशल युनिट का एक उद्देश्य महिलाओं एंव बच्चों से सम्बन्धित कानूनों पर प्रशिक्षण प्रदान करना भी है, क्या दिल्ली के सभी थानों में नियुक्त फील्ड पुलिस अधिकारियों को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम २०१३ (*Criminal Law Amendment Act*) तथा अन्य सम्बन्धित कानूनों पर उचित रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है?

जब भी कोई नया कानून आता है तो उसके अंतर्गत जो मुख्य पदाधिकारी हैं उन्हें पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (P.T.C) द्वारा हम लघु प्रशिक्षण प्रदान करवाते हैं। अभी जो नये कानून आए हैं चाहे वह POCSOA हो या फिर *Criminal Law 2012*, हम पुलिस को P.T.C द्वारा प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके लिए हमें अभी दिल्ली सरकार ने भी मदद की है और हमने राष्ट्रीय जन सहयोग एंव बाल विकास संस्थान (NIPCCD) से प्रशिक्षण करवाये हैं।

इसके अलावा पिछले एक वर्षों से ज़िला स्तर पर दिल्ली पुलिस, महिला एंव बाल यूनिट तथा पी.टी.सी. लगातार जेन्डर संवेदीकरण पर प्रशिक्षण दे रहे हैं जिसके लिए गैर सरकारी संगठनों को भी जोड़ा गया है।

साथ ही, बाल न्याय कानून २००० के अंतर्गत जो एक इसका एक अधिदेश है कि बच्चों के साथ पुलिस का बर्ताव कैसा होना चाहिए, पिछले ३ वर्षों से लगातार उसके लिए भी सम्बद्ध जुवनाईल अफ़सरों को तथा कांस्टेबल स्तर तक के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दी जा रही है।

क्या आपके विचार में थाना स्तर पर पुलिसकर्मी कानूनों में हो रहे बदलावों को समझ कर अपना काम करने में सक्षम हैं? क्या फील्ड में नियुक्त पुलिकर्मियों को बाल न्याय कानून २००० (J.J.Act) या अन्य नये कानूनों के बारे में इतनी जानकारी है कि वे पीड़ित को इसके अंतर्गत सहायता दिलवा सकें?

जहां तक J.J.Act के बारे में कांस्टेबल स्तर को जानकारी होने की बात है, तो इस कानून के लिए हम दो प्रकार का प्रशिक्षण करते हैं। एक सब इंस्पेक्टर स्तर के लिए जो जूवनाइल वेल्फेयर ऑफिसर के लिए होता है और जिनको विस्तृत प्रशिक्षण देने का उच्च न्यायलय का एक निर्देश है और उसके लिए हमने दो दिनों का एक मापांक (Module) भी तैयार किया है। दुसरे प्रशिक्षण में J.J.Act के बारे में जागरूक किया जाता है जो प्रत्येक फील्ड स्तर के पुलिसकर्मियों को भी दी जाती है ताकि अगर उनके सामने उस कानून से सम्बन्धित कोई केस आए जैसे कि अगर वे किसी ऐसे बच्चे को पाते हैं जो कानून के विरूद्ध हो तो उन्हें मालूम है कि यहां जूवनाइल वेल्फेयर ऑफिसर के सुपुर्द करना है। इसी प्रकार नये कानूनों के बारे में जो सम्बन्धित अधिकारी हैं जैसे कि POCSOA के अंतर्गत जूवनाइल वेल्फेयर ऑफिसर को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी कानून पर हमने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर सभी एस.एच.ओ. के लिए अर्थात् इंस्पेक्टर स्तर के लिए भी दो दिनों का प्रशिक्षण करवाया था ताकि उन्हें यह मालूम हो कि क्या सुपरवाईज़ करना है।

इसी प्रकार अगर महिलाओं की बात करें तो उनकी शिकायतों के बारे में बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है हर स्थान और स्तर पर कि वह जिस प्रकार से शिकायत कहेंगी वैसे ही दर्ज करना है अगर वह लिखकर लाती हैं तो ठीक है, उसे ही दर्ज कर लिया जाएगा और कोई सहायता मांगती हैं तो वह उन्हें प्रदान की जाएगी।

१६ दिसम्बर की घटना के बाद से गंभीर अपराधों में किशोरों की क्रियाशीलता को देखते हुए J.J.Act के अंतर्गत कानून के विरूद्ध जाने वाले बच्चों की आयू सीमा को घटाने की मांग की जा रही है। क्या आप इससे सहमत हैं?

विभाग का नहीं लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि आयू सीमा बढ़ाने से कोई ख़ास अंतर नहीं आएगा। दरअसल, समस्या इसलिए आ रही है कि क्योंकि इस कानून में कुछ कमियां हैं इसी कारण प्रशासन यह मांग कर रही है। सबसे पहले, इसके अंतर्गत 'सुधार' के लिए ३ साल की अवधि निर्धारित की गई है जो बच्चा ३ साल की अवधि गुज़ारने के बाद अब व्यस्क हो सकता है और हम उसे समाज में छोड़ देते हैं जबकि हमें यह भी मालूम नहीं कि उसमें 'सुधार' आया भी है या नहीं। इसमें कोई नियन्त्रण और संतुलन नहीं है और समाज में भी इसके बारे में यही रोष है कि इस कानून के अंतर्गत बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा और समाज के सुरक्षा के अधिकार में संतुलन नहीं रखा गया है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे गंभीर अपराधों से जुड़े होते हैं, जब उन्हें समाज में छोड़ दिया जाता है तो वह किसी व्यस्क के साथ रहने के बाद भी या अगर उनके मां–बाप हैं तो उसके बाद भी उसमें सुधार नहीं आ पाता है और कई बार जो अभिभावक या परिवार वाले हैं वे भी अपराध के फल से प्रसन्न होते हैं। साथ ही, जो इस प्रकार के आपराधिक मामलों से जुड़े होते हैं उनकी जीवन शैली, आर्थिक स्थिति उनकी उम्र के दूसरे बच्चों/किशोरों से बेहतर हो जाती है। इस कारण समाज में यही संदेश जाता है कि 'अपराध से लाभ होता है' और कई बार इससे दूसरे बच्चे के अधिकार प्रभावित होते हैं और अपराध की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। J.J. Act, बच्चों की भलाई के लिए बनाया गया एक कानून है लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस को पूरी तरह काट दिया गया है– बच्चों से पूछताछ करने की शक्ति को या जांच करने की शक्ति को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण पुलिस आपराध में दोबारा जाने वाले बच्चों को रोक नहीं पाती और वे बच्चे

शेष पृष्ठ ३ पर .....

बूझो और जीतो-२०

प्रिय पाठकों,

इस बार भी हम आपराधिक कानूनों में हुए नए संशोधनों और बाल यौन शोषण सम्बन्धी कानूनों से प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों बेहद उपयोगी कानून हैं, इसलिए अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा मे भाग लें।

हांलाकि, इस बार भी पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हो तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक मे प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज होने के समय आरोपी अपने वकील को भेज सकता है?

२. एक नाबालिग के अवैध व्यवसाय के दोषी को क्या दण्ड दिया जा सकता है?

३. किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, थाने में शिकायत दर्ज कराने आई महिला के साथ बलात्कार करने पर क्या दण्ड दिया जा सकता है?

४. किसी व्यक्ति पर एक बच्चे के साथ यौन प्रताड़ना करने के लिए झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्ति को क्या दण्ड दिया जा सकता है?

५. बच्चों से सम्बन्धित अश्लील सामग्री रखने वाले व्यक्ति को क्या और किस प्रावधान के अंतर्गत दण्ड दिया जा सकता है?

बूझो और जीतो – ५७ का परिणाम

मार्च २०१३ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२ की धारा २(घ) के अनुसार किसी भी १८ वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को 'बच्चा' माना गया है। इसलिए १३ वर्ष के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के अपराधी को इस कानून की धारा ४ के अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

२. नहीं, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२ की धारा २४(३) में साफ़ कहा गया है कि जांच के दौरान किसी भी समय बच्चे को आरोपी के सामने नहीं लाया जाएगा।

३. हां, भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७५ के अंतर्गत १८ वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ किये गये संभोग को बलात्कार कहा जाएगा और दोषी को धारा ३७६ के अंतर्गत दण्ड दिया जाएगा।

४. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ घ के अंतर्गत आरोपी को कम से कम २० वर्षों के कारावास और पीड़िता को जुर्माना देने का दण्ड दिया जा सकता है।

५. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३५४ घ के अंतर्गत 'स्टॉकिंग' को परिभाषित किया गया है। इसके दोषी को पहली बार पकड़े जाने पर ३ वर्ष का कारावास और दूसरी बार दोषी पाये जाने पर ५ वर्ष का कारावास और जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जाएगा।

विजेता

इस अंक के लिए हमें किसी भी पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, लोक पुलिस
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली 110017, भारत
फोन : ९१ ११४३९२०८००, ४३९८०२२५
फैक्स : ९१ ११ २६८६४४८८
ई–मेल : zeenatmalick@gmail.com

न्यूनतम बल प्रयोग, बेहतर पुलिसिंग

दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर द्वारा २८ जुलाई २०१३ को करण पाण्डे नामक युवक पर घातक फायरिंग न केवल उसके परिवार और प्रियजनों के लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत नुकसान और दुःखद घटना है बल्कि स्वंय पुलिस के लिए भी यह एक दुःखद घटना है। यह सच्चाई कि, हादसा एक गलत शॉट के कारण हुआ इसे और भी बुरा बनाता है– बताया गया है कि पुलिस ने मोटरबाईक के पिछले टायर को पंक्चर करने के लिए गोली चलाई थी जबकि गोली पिछली सीट पर बैठे करण की पीठ में लगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस के लिए वह एक कठिन परिस्थिति थी क्योंकि उन्हें १०० के करीब खतरनाक करतब दिखाने वाले उग्र बाईकसवारों को संभालना था। लेकिन, पुलिसिंग की वास्तविकता कठिन स्थिति है और असली पुलिसिंग की जांच इस बात से होगी कि पुलिस इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करती है। एक नौजवान युवक को ग़लती से मार डालना पुलिसिंग की गंभीर रूप से हार है।

जहां अघातक हथियारों की कमी निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक समस्या है, यह मूल मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा है पुलिस अधिकारियों का तुरंत पलट कर बल प्रयोग करना– इस विशिष्ट परिस्थिति में, भीड़ नियंत्रण में, कानून व्यवस्था प्रबंधन में। आवश्यकता है बल प्रयोग और बन्दूक के उपयोग में मूल सिद्धांत पर वापस जाना जिसके अनुसार बल प्रयोग सदा ही अंतिम उपाय है, केवल तब जब यह बेहद आवश्यक है, और केवल वहां जब जीवन या सम्पत्ति पर बहुत खतरा हो। बल प्रयोग पर प्रशिक्षण को सूक्ष्मदर्शी के अधीन आने की आवश्यकता है विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों को बन्दूक या दूसरे घातक बल का सहारा लेने के पहले उन्हें अधिक युक्तियाँ, कूट नीतियां और संसाधन उपलब्ध कराये।

बल प्रयोग पर नियंत्रण हमारे स्वदेशी मानक का भाग है। गृह मंत्रालय द्वारा १९८५ में विकसित की गई पुलिस आचरण संहिता इस बात पर मार्गदर्शन करता है कि बल प्रयोग कब करना है और कहता है "जहां तक सम्भव हो, समझाने बुझाने, सलाह और चेतावनी का उपयोग करना चाहिए। अगर फिर भी बल प्रयोग अपरिहार्य हो जाता है तब उस स्थिति में भी आवश्यकतानुसार केवल अलघुकरणीय कम से कम बल का उपयोग किया जाना चाहिए"। इस केस में, इतनी कम दूरी पर गोली चलाने से पहले इंस्पेक्टर को इस कार्यवाही के बारे में दोबारा सोचना चाहिए था।

इस बात पर कोई भी मतभेद नहीं कर रहा है कि बल प्रयोग कब और कितना करना चाहिए यह निर्णय करना शायद पुलिसिंग का सबसे कठिन और जटिल पहलू है। इस जटिलता से कुछ भी दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक गलत निर्णय या अत्यधिक बल प्रयोग की कीमत मानव जीवन को नुकसान और कई केसों में मृत्यू है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े हमें बतलाते हैं कि भारत में वर्ष २०१२ में पुलिस फायरिंग से घायल होने वाले नागरिकों की सबसे अधिक संख्या दिल्ली में थी। इसे बेहतर प्रशिक्षण और मानकों के निर्धारण से सम्बोधित किये जाने की आवश्यकता है।

यह प्रोत्साहक है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, श्री बी.एस.बस्सी उपरोक्त केस में मृतक करण की मां द्वारा न्याय की मांग में सहायता कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा रबर की गोलियों और टेज़र जैसे हथियारों को वैकल्पिक तौर पर प्रयुक्त किये जाने की योजना को सराहा नहीं जा सकता है। टेज़र, जिससे कि टारगेट को एक शॉक का आभास होता है तथा रबर की गोलियां दोनों ही गहरे घाव दे सकती हैं और वास्तव में घातक सिद्ध हो सकती हैं, यह अनुभव दूसरे देशों के हैं जिन्होंने अपने शस्त्रागार में इसे प्रयुक्त किया था। संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रताड़ना के विरूद्ध समीति ने टेज़र को प्रताड़ना, क्रूरता और अपमानजनक व्यवहार पर प्रतिबंध के उल्लंघन में बतलाया है और सदस्य देशों को टेज़र के उपयोग को त्यागने के लिए कहा है। ब्रिटिश सेना को उत्तरी आयरलैंड में सैन्य युद्ध के दौरान रबर की गोलियों को एक विकल्प से बदलना पड़ा क्योंकि रबर की गोलियों के परीक्षण से यह दिखा कि वे प्राणघातक हो सकते हैं और इससे गहरा ज़ख्म हो सकता है। पुलिस फायरिंग के दौरान नागरिकों के नुकसान की सम्भावना को पहले से ही देखते हुए भारत में पूरी तरह अप्राणघातक रणनीति पर बल दिया जाना चाहिए।

अब समय आ गया है कि पुलिस संगठन ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें और इस बात को मान लें कि मूल मुद्दा बल प्रयोग को नियंत्रित करना है और अधिकारियों को यह याद दिलायें कि बल प्रयोग हमेशा से और आज भी अंतिम उपाय है। इसके लिए बल प्रयोग के बुनियादी सिद्धांत पर जाने और सभी फील्ड स्तरीय अधिकारियों के गस्तिष्क के अंदर यह बात बिठाना सुनिश्चित करने और यह देखने की आवश्यकता होगी कि बल प्रयोग के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कड़े मानक अपनाये जा रहे हैं। आशा की जा सकती है कि दिल्ली के करण पाण्डे की दुःखद मृत्यू पुलिस को बल प्रयोग पर जगाने के लिए एक घंटी है।

– देविका प्रसाद

पुलिस कार्य में व्यवहारगत् सॉफ्ट स्किल्स का महत्व

पिछले संस्करण में हमने पुलिस कार्य में सॉफ्ट स्किल्स की उपयोगिता के संदर्भ में 'दृष्टिकोण' को समझा जो पुलिस कार्य के समस्त सॉफ्ट स्किल्स को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है क्योंकि दृष्टिकोण का सीधा प्रभाव 'व्यवहार' पर पड़ता है। 'व्यवहार' पुलिस कार्य के दौरान उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है।'व्यवहार' शब्द का शाब्दिक अर्थ "मानव के क्रियाकलापों तथा संवाद, हाव–भाव तथा भावनाओं को प्रकट करने से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख तत्व होते हैं :–

१. मनुष्य का सोचने, विचारने तथा कार्य करने का तरीका,

२. परिस्थितियां, जिनमें मनुष्य स्वयं को पाता है,

इस प्रकार व्यवहार, वह अंतरक्रिया है जो किसी परिस्थिति में किसी मनुष्य के सोचने, विचार करने और कार्य करने को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर एक चौराहे पर दो व्यक्ति आपस में झगडा कर रहे हैं, उस चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी झगड़े को देखकर तुरंत उनके पास आता है और दोनों को झगड़ा न करने की हिदायत ऊँची आवाज में देकर उन्हें अलग हो जाने तथा शान्त होने का निर्देश मजबूती से देता है। इस उदाहरण में चौराहे पर दो व्यक्तियों का झगड़ा 'परिस्थिति' है, पुलिसकर्मी का झगड़ा करने वालों के पास तुरंत आना, दोनों को अलग–अलग करना, हिदायत ऊँची आवाज में देना, शांति बनाये रखने हेतु मजबूती से निर्देश देना वे 'प्रतिक्रियाएं' हैं जो पुलिसकर्मी प्रकट करता है। यही कृत्य उसका 'व्यवहार' है।

व्यवहार – मनुष्य के दृष्टिकोण, विचारशैली, सामाजिक संस्कार पर आधारित होता है और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मनुष्य के प्रत्येक कार्य में 'व्यवहार' एक अत्यंत आवश्यक तत्व है, जो मनुष्यों के समस्त प्रकार के अंतर्संबंधों को प्रभावित करता है। जिस व्यवासायिक कार्य में जितना अधिक सामाजिक अंतर्संबंध है उस कार्य में उतनी अधिक व्यवहारगत् कौशल की आवश्यकता होती है।

उदाहरण स्वरूप, पुलिस के संदर्भ में व पुलिस के कार्य की व्याख्या की जाये तो हम पायेंगे कि पुलिस का कार्य मूलभूत रूप से अपराध की रोकथाम है, अपराधियों की धरपकड है, अपराधों की विवेचना कर सजा दिलाये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखना है तथा कानूनों का पालन करवाकर सुरक्षा वातावरण निर्मित करना है। पुलिस के यह कार्य पुलिस को समाज के अंदर जनता के साथ विभिन्न प्रकार के अंर्तसंबंधों को निर्मित कर संपादित करने होते हैं। अपराध की रोकथाम हेतु शहर, गांव अथवा मोहल्ले में निगरानी रखना, शंकास्पद व्यक्तियों की रोकटोक करना, उन पर नजर रखना, उपद्रवियों तथा असामाजिक तत्वों को लगातार कानून के दायरे में रहने हेतु हिदायत देते रहना तथा क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर आम जनता से संपर्क में रहना प्रमुख कार्य होते हैं। इन कार्यों में पुलिस को अंतर्संबंधों पर केन्द्रित रहकर लगातार आम जनता, शंकास्पद व्यक्तियों, अपचारी तथा अपराधी व्यक्तियों से संपर्क में रहकर भिन्न–भिन्न प्रकार का व्यवहार भिन्न–भिन्न व्यक्तियों से करना होता है। अपराध की रोकथाम तथा अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु तथा अपराधों की विवेचना कर सजा दिलाये जाने हेतु न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करने के कार्य में भी पुलिस को विभिन्न प्रकार के मानवीय अंतर्संबंधों पर केन्द्रित होना होता है। अपराधियों की धरपकड़ हेतु सर्वप्रथम पुलिस को अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की बात सुननी होती है, पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई बातों को कानूनी रूप से आत्मसात करके उसे प्रथम सूचना के रूप में रजिस्टर करना होता है जिसमें लगातार पीड़ित व्यक्तियों व उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप करना आवश्यक होता है। अपराध की विवेचना हेतु पीड़ित व्यक्ति से लगातार बात करने के अतिरिक्त घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों से लगातार बात करना, घटनास्थल पर उपस्थित साक्षियों से लगातार वार्तालाप करना, पीड़ित व्यक्ति तथा साक्षियों का विश्वास अर्जित करना ताकि वे खुलकर अपनी बात कह सकें, अन्य पुलिसकर्मियों से अपराध की विवेचना के दौरान तालमेल रखना तथा एक टीम के रूप में कार्य को अंजाम देने हेतु परस्पर अंतर्संबंध रखना, अपराध के अनुसंधान के दौरान विशेषज्ञों से चर्चा करना, वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेना व चर्चा करना तथा कनिष्ठों व अन्य सहयोगी अधिकारी/कर्मचारियों से अपराध की विवेचना तथा अपराधियों की धरपकड़ हेतु आवश्यक सहयोग प्राप्त करना शामिल है। निश्चित ही यह समस्त कार्य 'मानवीय व्यवहार' पर आधारित हैं। अपराध घटित होना वह 'परिस्थिति' है जो एक पुलिसकर्मी से 'व्यवहाररूपी' प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती है। पुलिस के द्वारा किया गया कार्य अपराध की परिस्थिति की प्रतिक्रिया है जिसमें उसका 'व्यवहार' उसका सबसे प्रमुख गुण अथवा सॉफ्ट स्किल है, जिसका उतना ही महत्व है जितना कि कानून के ज्ञान का। यहां पर यह तर्क दिया जा सकता है कि 'कानून का ज्ञान' होने से यह समस्त कार्य किये जा सकते हैं 'व्यवहार' को अनावश्यक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, जो कि गलत है। उदाहरणतः न्यायालय के समक्ष पुलिस को अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत करना होता है तथा न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी के रूप में उपस्थित भी होना पड़ता है। यदि पुलिसकर्मी को कानून तथा प्रक्रिया का ज्ञान कम होगा तो निश्चित ही वह चालान प्रस्तुत करने के समय तथा अपना अभियोजन साक्ष्य देते समय त्रुटियां कर सकता है। परंतु यदि उसमें व्यवहारगत् कौशल नहीं होगा तो अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने के दौरान अपनी उत्तेजनाओं तथा घबराहट को नियंत्रण में रखे बगैर अपना वक्तव्य दे सकता है। "भाषा तथा संवाद" की परिपक्वता का ध्यान रखे बगैर इस प्रकार का वक्तव्य दे सकता है जो न्यायालय में उसके साक्ष्य को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि पुलिसकर्मी को अपने कार्य के दौरान व्यवहारगत् विशिष्ठताओं का उतना ही ध्यान रखना पडता है जितना कि कानूनी ज्ञान का।

इसी संदर्भ में पुलिस का एक अन्य प्रमुख कार्य– 'कानून का पालन कराना तथा शांति व्यवस्था बनाये रखना' का भी विश्लेषण किया जा सकता है। कानून का पालन कराने के समय पुलिसकर्मी को कानून का ज्ञान होने के साथ–साथ यह व्यवहारगत् कौशल भी होना चाहिये कि वह किस परिस्थिति में किस प्रकार का संवाद बोले तथा व्यवहार करे। झगड़ा करने वाले दो साम्प्रदायिक गुटों को नियंत्रित करने के समय, उत्तेजित भीड़ को उपद्रव करने से रोकने के दौरान तथा धरना–प्रदर्शन करने वाले संगठित तथा उत्तेजित समूह के नियंत्रण के दौरान पुलिस को भिन्न प्रकार के व्यवहारगत् कौशल का प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है जो उनसे अपेक्षित व्यवहार से पूर्णतः भिन्न होगा जो उन्हें एक घरेलू विवाद के दोनों पक्षों की सुनवाई करते समय, अपराध पीड़ित बच्चों की सुनवाई करते समय अथवा एक आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण की जांच करते समय करना होगा। इस प्रकार पुलिस के कार्य में 'परिस्थितियां' भिन्न–भिन्न होती हैं और उसकी प्रतिक्रिया में किये जाने वाले 'व्यवहार' के मानदण्ड भी अलग–अलग होते हैं। इन भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में अपेक्षित भिन्न–भिन्न व्यवहारगत विशिष्ठताओं की बारीकियों की समझना ही सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण का प्रमुख अंग है।

दुर्भाग्य से भारत में पुलिस के क्षमता विकास के दौरान तथा क्षमता विकास हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान उनके कानूनी ज्ञान की क्षमता का विकास, उनके हथियारों/गोला बारूद चलाये जाने की क्षमता के ज्ञान इत्यादि पर तो ध्यान दिया जाता है परंतु व्यवहारगत विशिष्ठताओं से संबंधित क्षमता विकास तथा परिस्थिति अनुकूल व्यवहार संपादन पर अपेक्षाकृत न्यूनतम ध्यान दिया जाता रहा है। इसका यह परिणाम है कि भारतीय पुलिस की यदि सबसे अधिक आलोचना होती है तो वह उसके व्यवहार के कारण ही होती है। रौब–दाब वाला व्यवहार एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पूर्णतः अनुचित है तथा जनता के द्वारा अमान्य माना जाने लगा है। हर परिस्थिति में तथा हर समय रौब–दाब दिखाना या व्यवहार करना औपनिवेशिक तथा सामंती पुलिस प्रणाली का प्रतीक है, जो एक सभ्य प्रजातांत्रिक देश की पुलिस व्यवस्था हेतु निरर्थक तथा निंदनीय हो चुकी है।

जिन पुलिसकर्मियों में परिस्थिति के अनुकूल तथा सामान्य शिष्टाचार व प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के आधार पर व्यवहार करने की बारीकियों की समझ विकसित होती है तथा जो पुलिसकर्मी परिस्थिति के अनुकूल व्यवहारगत् विशिष्टताओं को क्रियान्वयन में लाते हैं वही पुलिसकर्मी आम जनता के समक्ष एक प्रजातन्त्र में सम्मान पाते हैं तथा जनता का विश्वास भी अर्जित करते हैं। इसलिए, पुलिस कार्य में सॉफ्ट स्किल्स का अत्याधिक महत्व होने के कारण पुलिसकर्मियों को स्वंय भी लगातार विविध प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार उसके अनुरूप व्यवहारगत् कौशल की समझ को आपसी चर्चा और वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लेकर स्मरण कर लेना चाहिए और हर सम्भव कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने इस सॉफ्ट स्किल का उपयोग अपने काम के हर पहलू में करें।

– विनीत कपुर
ए.आई.जी.मध्य प्रदेश पुलिस

क्या आप जानते हैं?

१६ दिसम्बर २०१२ को दिल्ली में निर्मम सामुहिक बलात्कार की घटना के बाद सरकार ने असाधारण राजपत्र में अधिसुचित करके सेवानिवृत न्यायाधीश माननीय उषा मेहरा की अध्यक्षता में जांच के लिए एक अयोग का गठन किया। हांलाकि यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय के वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है अर्थात् इसे पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है। फिर भी, इस रिपोर्ट की प्रमुख प्राप्तियों और आयोग का सिफारिशों तथा उसके बाद सरकार और पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण हम आपकी सूचना के लिए ***लोक पुलिस*** के इस खंड के अंतर्गत प्रस्तूत कर रहे हैं।

आयोग का उद्देश्य

पीड़िता पर बलात्संग और दुःखद हमले के मामले में जांच करने के लिए तथा दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया। राजपत्र में कहा गया था कि:–

- "तारीख १६ दिसम्बर २०१२ को दिल्ली में एक युवती के बलात्संग और उस पर हुए बर्बर हमले की दुःखद घटना के विभिन्न पहलूओं की जांच करना, तथा पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति की ओर से हुई चूकों और उपेक्षा के लिए ज़िम्मेदारी नियत करना।
- आयोग, विशिष्टतया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओंकी सुरक्षा एंव संरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।"

आयोग को अपनी पहली बैठक की तारीख़ से तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तूत करने को कहा। इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट २२ फरवरी २०१३ को सौंप दिया।

प्रमुख प्राप्तियां

- पुलिस और यातायात विभाग में सामंजस्य की कमी
- राष्ट्रीय राजधानी राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सहयोग की कमी, जो अपराधियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच कर भागने में महत्वपूर्ण भुमिका निभाता है।
- दिल्ली में सार्वजनिक यातायात की सुविधा में कमी और पी.सी.आर. वैन की संख्या में कमी।

रिफ़ारिशें और कार्यवाही

- इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस बल में एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।
- सरकार ने एक एडवाईज़री जारी करके दिल्ली पुलिस को कहा है कि वे सभी महिला पुलिस अधिकारियों को अन्य स्थानों से हटाकर थानों में तैनात करें और भविष्य में होने वाली भर्तियों में महिलाओं को बल में आने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उनकी भागीदारी कम से कम १/३ हो सके। दिल्ली पुलिस को ३७० पी.सी.आर. वैन भी उपलब्ध करायी गयी है और सभी पुलिस अधिकारियों को बीट अधिकारियों को मोबाईल देने के लिए निर्देश दिया गया है। अधिकारक्षेत्र के मुद्दे में जाए बगैर उन्हें आरोपी को पकड़ने तथा चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए तुरंत कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने जनता की मदद के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने के आश्वासन दिया है– सरकार ने कहा है कि एफ.आई.आर. न दर्ज करने को इसने आपराधिक मामला बना दिया है।
- इसके अलावा आयोग की सिफ़ारिश पर सरकार ने दिल्ली में ५,३१२ सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए स्वीकृत दे दी है। इनमें से २,६७७ को मार्मिक स्थानों पर लगाया जाएगा जैसे कि– उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और व्यस्त बाज़ार के क्षेत्रों में। सरकार के अनुसार सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की प्रक्रिया शहर में और बढ़ाई जाएगी और इसे बॉर्डर चेक–पोस्ट, शराब की दुकानों और थानों में भी लगवाया जाएगा।
- समाज और पुलिस में जेन्डर संवेदीकरण के बारे में आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों के अनुसार दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी पुलिसकर्मियों को जेन्डर संवेदीकरण पर प्रशिक्षण दें और शैक्षणिक संस्थानों को प्रशिक्षण मॉडयूल डिज़ाईन विकसित करने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि नैतिक विज्ञान और जेन्डर संवेदीकरण पर प्रशिक्षण दिया जा सके।
- आयोग ने अपराध मापने की सिफ़ारिश भी की थी, जिसके अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स को संवेदनशील बसों के रास्ते और संवेदनशील रास्तों की पहचान करने का काम दिया गया है।
- उपरोक्त के अलावा, सरकार ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम में भी संशोधन किया जबकि राज्य परिवहन प्राधिकरण के असंतोषजनक रूप से कार्य करने के मुद्दे पर, गृह मंत्रालय के अधीन एक आंतरिक ईक्वायरी के बाद, सचिव और सहायक सचिव को निलंबित कर दिया गया है।
- गृह मंत्रालय के द्वारा ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक, ए.सी.पी. और डी.सी.पी. ट्रैफिक के विरुद्ध भी १६ दिसम्बर की घटना के लिए कार्यवाही की गई।

(सौजन्य: गृह मंत्रालय वेबसाईट तथा न्यूज़ डॉट आउटलुक इंडिया डॉट कॉम, २० अगस्त २०१३)

पृष्ठ १ का शेष .....

व्यवस्था में आ ही नहीं पाते हैं। कोई ऐसी व्यस्था विकसित करनी चाहिए जिससे बच्चे को ३ साल की अवधि पूरी करने पर उसमें सुधार आया है कि नहीं इसका जांच किया जाए अगर वह इसमें ठीक हो तभी उसे समाज में छोड़ा जाए। इसके लिए अगर नए स्थान बनाने की आवश्यकता है तो वह विकसित किए जाने चाहिए। लेकिन, हर हाल में ३ साल की इस निर्धारित अवधि के प्रावधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

दुसरी कमी है, रिकॉर्ड न रखने की वैधानिक आवश्यकता। विश्व में ऐसी कोई पुलिस संगठन नहीं है जहां इनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता हो। हां, इस रिकॉर्ड के उपयोग पर प्रतिबंध हो सकता है। अभी दिल्ली में ही भर्ती के समय कुछ ऐसे केस आए जिनका पहले आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। इसलिए, दुनिया भर में जूवनाइल कौन से नौकरी कर सकते हैं उसके लिए कुछ अपवाद रखे गए हैं जैसे कि– सेना, अर्ध्यसैनिक बल, अस्पताल, स्कूलों में उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसा करने से समाज की सुरक्षा दांव पर लग सकती है। ऐसा इसलिए भी और आवश्यक हो जाता है क्योंकि अभी इस बात पर शोध चल रहा है कि जो आपराधिक तत्व समाज में हैं वे वातावरण के कारण हैं या वंश के कारण। इसलिए, इस कानून में यह नियंत्रण नहीं रखा गया जो आवश्यक है। वास्तव में, यह बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई २१ वर्षीय स्कूल वैन का ड्राईवर १७ वर्ष की आयू में बाल यौन शोषक रह चुका है, ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि वह यही अपराध नहीं दोहरायेगा और यह जानकारी मैं स्कूल के साथ नहीं बांटती हुं तो क्या मैं समाज को गलत सर्विस नहीं दे रही हुं। तो, यह इस कानून में बहुत बड़ी कमी है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है और एकतरफ़ा कानून बनाया गया है जिस कारण पुलिस बेहद असहाय महसूस करती है और समाज में भी रोष है।

क्या आपके विचार में महिलाओं को भर्ती में आरक्षण दिया जाना चाहिए?

हमें बल में अधिक महिलाओं की आवश्यकता है क्योंकि, महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित केसों में भी जांच करना होता है, उन्हें आई.पी.एल. में होना चाहिए, मार्केट में होना चाहिए, मॉल में भी होना चाहिए और थानों में तो अवश्य ही महिलाएं चाहिए। इसलिए, हमें अगर महिलाओं को लाना है तो उन्हें पुरूषों के स्थान पर नहीं बल्कि उनके अलावा लाना चाहिए। क्योंकि, कार्य की प्रवृति के अनुसार जो महिलाएं निचले स्तर पर बल में हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि यह २४ घंटों का काम है। इसलिए अगर हम पुरूषों की आवश्यक संख्या के अलावा महिलाओं को बल में लेते हैं तो उनके लिए विशेष अवकाश के बाद भी कार्यों पर कुप्रभाव नहीं होगा और न किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता होगी।

क्या थाना स्तर पर महिलाओं को उचित अवसंरचना और कार्य वातावरण प्रदान किया जा रहा है? महिलाओं को काम में सहजता प्रदान करने के लिए और क्या सुविधा दिये जाने की आवश्यकता है?

दिल्ली में जहां पुराने थाने हैं वहां पर समस्या है या जो गैर कानूनी सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं वहां अवसंरचना की कमी है। वरना, ६० प्रतिशत थानों में आवश्यकतानुसार अवसंरचनाएं पहले से ही विकसित हैं क्योंकि इस दिशा में पहले से ही काम चल रहा है।

इसके अलावा महिलाओं के लिए आवास का प्रबंध उनके कार्य स्थल के आस–पास ही होना चाहिए। अगर वे ३-४ घंटे यात्रा करके बच्चे को छोड़कर काम पर रोज़ आएंगी तो इससे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और समाज १८-२० वर्ष के बाद अपने लिए योग्य नागरिकों से वंचित हो जाएगा। वहीं अगर आस–पास पुलिस कॉलानी हो तो वह बच्चे को थोड़ी देर के लिए देख कर भी आ सकती हैं।

आपके विचार

महोदया,
सादर नमस्कार!

लोक पुलिस के मई व जून अंक में प्रकाशित 'क्या आप जानते हैं' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित लेखों का समावेश बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि इसी स्तम्भ के अंतर्गत अन्य नवीन कानूनों जैसे कि *कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम २०१३* का सार सरल रूप में प्रस्तूत किया जाए जिसमें इसके अंतर्गत पुलिस के विशिष्ट दायित्वों का विशेष रूप से नियोजन किया जाए।

इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स पर लगातार प्रस्तूत किये जाने वाले लेखों से हमें अपने दृष्टिकोण और व्यवहारों में बदलाव के लिए सरल मार्ग प्राप्त हो रहा है। पहले केवल सॉफ्ट स्किल्स पर प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता के बारे में सुना था लेकिन इसके विभिन्न स्वरूप को विस्तार से समझने का अब अवसर मिला है।

महिला हेड कांस्टेबल, करनाल
सदस्य, हरियाणा पुलिस

संपादिका जी,
नमस्ते!

जूलाई २०१३ के ***लोक पुलिस*** की ई–कॉपी का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अंक में साक्षात्कार खण्ड के अंतर्गत अच्छी पुलिस व्यवस्था के निर्माण में स्वंय महिला पुलिसकर्मियों को किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं और कहां सबसे पहले सुधार करने की ज़रूरत है यह सब समझने का अवसर मिला। इसके अलावा आत्म निरीक्षण पर यह भी ज्ञात हुआ कि हम पुरुषकर्मी कहीं न कहीं अपनी साथी महिला पुलिसकर्मियों की क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं या फिर कुछ लोग जांच करने का अवसर उनके हांथ में जाने ही नहीं देना चाहते। निःस्संदेह हमें अपने व्यवहार में नितान्त बदलाव लाने की आवश्यकता है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए काफ़ी प्रयत्नशील भी हूँ। संक्षेप में, इस प्रकार के दृष्टिकोण से आत्मनिरीक्षण का मौका मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता है।

धन्यवाद!

इंस्पेक्टर, आरा
सदस्य, बिहार पुलिस

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

कोची : पुलिस शिकायत प्राधिकरण के लिए नया अध्यक्ष

अंततः केरल के इस ज़िले के लोगों के लिए पुलिस के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत होने पर सुनवाई के लिए ज़िला पुलिस शिकायत प्राधिकरण में नये अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। अध्यक्ष की नियुक्ति के कारण, आठ महीनों के बाद इस प्राधिकरण के कार्यकलापों को सुव्यवस्थित किया जा सका है। यह पद दिसम्बर २०१२ से रिक्त था इस अवधि में लोगों की शिकायत दर्ज कर ली गई थी लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी थी।

अब, जज एम.सी.जॉर्ज को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है और इसकी बैठक भी जल्द ही प्रारम्भ करने की बात कही जा रही है। नए जज को नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा।

प्राधिकरण के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष २०१३ में अब तक ११ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। प्राधिकरण ने २०१२ में ६१ तथा २०११ में ६० शिकायतें दर्ज की थीं। वर्ष २००७ में इसकी शुरूआत से अब तक प्राधिकरण ने २६० से अधिक शिकायतें प्राप्त की हैं। प्राधिकरण द्वारा कुल ६७ केसों को निपटाया गया है जिसमें केवल ४ केसों में प्राधिकरण ने पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की सिफारिश की है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया– "हम पुलिस द्वारा उत्पीड़न को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में, पुलिस कमिश्नर ने वाहनों की जांच के दौरान नये व्यवाहारिक निर्देशों को जारी किया है।" इसके अलावा ३० होमगार्डों को मोटरसवारों की शिकायत पर निलंबित कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में तकरीबन १० पुलिसकर्मियों के विरूद्ध अलग अलग शिकायतों के लिए कार्यवाही की गई है। विभाग जनता को प्रताड़ित करने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध बहुत कठोर रहा है।

अगर पुलिस अपने काम और जनता के साथ अपने व्यवहार को निर्धारित कानूनों और विभिन्न निर्देशों के अनुसार करती है तो, पुलिस शिकायत प्राधिकरण जैसे निकायों के पास शिकायतों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आशा है, विभाग द्वारा १० पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने को अन्य पुलिसकर्मी अपने लिए चेतावनी मानेंगे। इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा अब तक केवल ४ केसों में पुलिस के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की सिफ़ारिश से प्राधिकरण की कार्य पद्धति पर कुछ प्रश्न उठते हैं।

फिर भी, नये नियुक्त अध्यक्ष से कठोर और तेज़ रफ़्तार कार्यवाही की अपेक्षा की जा सकती है क्योंकि जिन लोगों ने ७-८ महीने पूर्व शिकायत की होगी और उस पर कोई कार्यवाही न पाकर वे निराश हो चुके होंगे। ऐसे में, प्राधिकरण को उनका विश्वास वापस लाने के लिए जल्द कार्रवाही करने की आवश्यकता है।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ५ अगस्त २०१३)

ऑनलाईन शिकायत व्यवस्था का प्रारंभ

असम में १५ अगस्त २०१३ से ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की गई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किया जा सकता है–

- शिकायत दर्ज करना और केस स्टडी जांच करना
- एफ.आई.आर. की कॉपी, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और अन्य स्वीकृत योग्य दस्तावेज़ों को प्राप्त करना
- गिरफ़्तार व्यक्तियों, वांक्षित आपराधियों और उनकी गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त करना
- गुमशुदा और अपहृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करना और उन्हें गिरफ़्तार व अज्ञात लोगों और लाशों से दोबारा जांचना
- चुराई गई या बरामद की गई गाड़ियों, हथियारों और अन्य सम्पत्तियों के बारे में विवरण प्राप्त करना
- घरेलू नौकरों और किरायेदारों के सत्यापन के लिए आवेदन करना
- पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन के लिए आवेदन करना।

असम पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर एक नागरिक पोर्टल का प्रारम्भ किया। यह पोर्टल केन्द्र के क्राइम एण्ड क्रिमनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) का एक भाग है और इसको एक उलुबअरी के कंट्रोल रूम से चलाया जाएगा। पुरे राज्य के ज़िला मुख्यालयों, सर्कल, सब–डिविज़न और कार्यालयों की ऑनलाईन सिस्टम तक पहुंच होगी।

इस पोर्टल पर लॉग करके नागरिक ऑनलाईन एफ.आई.आर. दर्ज कर सकते हैं, केसों की स्थिति जांच सकते हैं और किरायेदारों, घरेलू नौकरों और कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेंगे, धरना और जुलूस निकालने के लिए आज्ञा मांग सकते हैं। इसके अलावा, लोग अपना फीडबैक भी रजिस्टर कर सकते हैं।

जैसे ही ऑनलाईन एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है, उस शिकायत को तुरंत ही सम्बन्धित थाने को भेज दिया जाएगा। जैसे ही शिकायत प्राप्त होगा, थाने में मौजूद पुलिसकर्मी शिकायत पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन, शिकायतकर्ता को २४ घंटों के भीतर थाने में पहुंचकर सत्यापन के लिए एफ.आई.आर. पर हस्ताक्षर करना होगा। यह पोर्टल ३४२ थानों से जुड़ा होगा। लोग पुलिस की सेवाओं के बारे में अपना फीडबैक और परेशानियों के बारे में सीधे डी.जी.पी. को लिख सकेंगें।

आई.जी. (कानून और व्यवस्था) श्री एस.एन. सिंह के अनुसार– राज्य के १००० पुलिसकर्मियों को सी.सी.टी.एन.एस. और नागरिक पोर्टल को उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दे दिया गया है। हमारी योजना धीरे–धीरे अपने सभी पुलिसकर्मियों को इस पोर्टल के उपयोग के लिए प्रशिक्षण देने की है।

इस पोर्टल के उपयोग से नागरिकों को निःसंदेह पुलिस की सहायता लेने में सुविधा होगी और ऐसे कई काम जिसके लिए उन्हें थाने जाना पड़ता था और पुलिस के अनिश्चित व्यवहार के डर से नागरिक पुलिस की सहायता तब तक नहीं लेते थे जब तक स्थिति अपरिहार्य नहीं हो जाती थी, वे अप्रत्यक्ष संपर्क के कारण कर सकेंगे। जैसे कि घरेलू नौकरों को रखने के पहले पुलिस सत्यापन करवाने के लिए आवेदन देना आदि। इस प्रकार के पोर्टल की आवश्यकता प्रत्येक राज्य में है और इसमें और अधिक विलंब की गुंजाईश नहीं।

(सौजन्य: टेलिग्राफ़ डॉट कॉम, ८ अगस्त २०१३)

दिल्ली पुलिस में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी

दिल्ली पुलिस में १००० अतिरिक्त पद बनाये गये हैं और इसमें से ५२२ अन्य पदों को महिला कांस्टेबलों के लिए परिवर्तित कर दिया गया है।

२००० महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती और ५०० पुरूष पुलिसकर्मी गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें २००० महिला पुलिसकर्मियों और ५०० पुरूष पुलिसकर्मी की भर्ती करने को कहा गया था। इस कदम से दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के २५ प्रतिशत पदों को महिला पुलिसकर्मियों से पूरा करने के अपने अधिदेश को पूरा कर लेगी। दो साल पहले दिल्ली पुलिस में केवल ६-१२ प्रतिशत महिलाएं थीं। मज़े की बात यह है कि, महिलाओं के नए प्रवेश के लिए उन ५०० पदों को भी रद्दी में डाल दिया गया जो पहले पुरूषों के लिए आरक्षित थे। इन पदों के लिए पुलिस को अब तक ७५००० आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जोकि पिछली बार से ३५ प्रतिशत अधिक है।

कमिश्नर कार्यालय के अनुसार नए सिपाही पुलिस की 'आकर्षक पुलिसिंग' में भी सहायता करेंगे। पुलिस के अनुसार आकर्षक पुलिसिंग का अर्थ है कि शहर में व्यापार क्षेत्रों और मॉलों आदि में लगातार सुरक्षा में तैनात की जाएंगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बारे में कहा "हम इससे महलाओं के प्रति पुरूषों द्वारा किये जाने वाले अपराधों पर रोक लगा पाएंगे और अपराधियों को सीधे अपराध स्थल पर ही पकड़ लेंगे।"

हांलाकि, महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी की कोशिशों के बीच लोक सभा में राजधानी में महिला पुलिसकर्मियों के साथ बढ़ती यौन प्रताड़ना की घटनाओं में बढ़ोतरी की भी बात उठाई गई। गृह मंत्री के अनुसार ३१ जूलाई २०१३ तक १४ महिला अधिकारियों पर हमले किये गये और छेड़छाड़ किया गया।

राज्य गृह मंत्री ने इसके उत्तर में कहा कि 'दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील है और सभी दर्ज केसों पर तुरंत कार्यवाही की जा रही है।'

राजधानी में, पिछले ७-८ महीनों में पुलिस की प्रत्यक्षता और सतर्कता बहुत हद तक बेहतर हुई है और महिला पुलिस की मौजूदगी हर स्थान पर दिखाई पड़नी चाहिए ताकि महिलाओं में विश्वास बढ़े। इसके लिए, महलाओं की भर्ती करना बहुत आवश्यक कदम है। लेकिन, वहीं महिला पुलिसकर्मियों के साथ–साथ छेड़छाड़ समाज के उसी सोच को दर्शाता है जिसमें कि महिलाओं को केवल एक निर्बल और मनोरंजन की वस्तू समझा जाता है और यह घटनाएं महिला पुलिसकर्मियों का मनोबल तोड़ने के लिए भी हो सकता है। पुलिस पर हमले की घटने सामान्य रूप से बढ़ती जा रही है और वहीं अगर हमले करने वाले के सामने महिला पुलिस हो तो वह छेड़ छाड़ करने से भी नहीं चूकता। लेकिन, इस सोच और प्रवृति को जनता और पुलिस को मिलकर बदलना होगा और अपराधियों को छोटे से छोटे छेड़खानी के मामलों में दण्ड से बचने ने दिया जाए शायद तभी उनकी हरकतों पर लगाम लग सकेगी।

(सौजन्य:टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १५ अगस्त २०१३)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–१७७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org